

मंडल आयोग

प्रलिमिस के लिये:

अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, आरक्षण, इंद्रा साहनी केस, OBC आरक्षण, मंडल आयोग, रोहणी आयोग।

मेन्स के लिये:

मंडल आयोग, आरक्षण: लाभ और चुनौतियाँ।

चर्चा में क्यों?

- बहिर में शुरू हुए जाति सरक्षण के दूसरे चरण के साथ ही कई अन्य राजनीतिक बहसों के कारण मंडल राजनीति एक बार फिर सुरक्षियों में आ गई है।

मंडल राजनीति और मंडल आयोग:

परचियः

- मंडल राजनीतिका आशय 1980 के दशक में उभरे ऐसे राजनीतिक आंदोलन से है जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक एवं आरथिक रूप से वंचित समुदायों (वशिष रूप से अन्य पछिड़ा वर्ग- ओबीसी) को शामिल करने पर बल दिया गया था।
- इस आंदोलन का नाम मंडल आयोग के नाम पर रखा गया था।

मंडल आयोगः

- मंडल आयोग या द्रुसरा सामाजिक एवं शैक्षणिक पछिड़ा वर्ग आयोग को वर्ष 1979 में भारत के 'सामाजिक या शैक्षकिक रूप से पछिड़े वर्गों' के लोगों की पहचान करने के लिये गठित किया गया था।

- इसकी अध्यक्षता बी.पी. मंडल ने की थी और इसने वर्ष 1980 में अपनी रपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1990 में इसे लागू किया गया था।
- इस आयोग की रपोर्ट से पता चला कि देश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग से संबंधित है।
- प्रारंभ में आयोग ने तरक्क दिया कि सरकारी सेवा में आरक्षण के प्रतिशत को इस प्रतिशत से मेल खाना चाहिये।

- हालाँकि यह एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले (1963) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गया, जिसने 50% की सीमा निरिधारित की थी। SC और ST के लिये पहले से ही 22.5% आरक्षण था।
- इसलिये OBC के लिये आरक्षण को 27% पर सीमित कर दिया गया था।

- आयोग ने गैर-हंडिडों के बीच पछिड़े वर्गों की भी पहचान की।

मंडल आयोग की सफिरशिंः

- OBSC को सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
- उन्हें सार्वजनिक सेवाओं के सभी स्तरों पर पदोन्नतियों समान 27% आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
- आरक्षणिकोटा, यदपुरा नहीं किया गया है, को 3 वर्ष की अवधिके लिये आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
- OBSC को SC और ST के समान आयु में छूट प्रदान की जानी चाहिये।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों, बैंकों, सरकारी अनुदान प्राप्त नजीकी क्षेत्र के उपकरणों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
- सरकार इन सफिरशिंः को लागू करने के लिये आवश्यक कानूनी प्रावधान करे।

मंडल आयोग का प्रभावः

- मंडल आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सरकार को व्यापक वरिधि का सम्मान करना पड़ा और जब सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया तो जहाँ छात्रों ने वरिधि में आत्मदाह किया।
- कार्यान्वयन को अंततः [इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ](#) मामले में चुनौती दी गई थी।

इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय का रुखः

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने OBC के लिये 27 प्रतशित आरक्षण को संवैधानिक सूप से वैध माना लेकिन कुछ शर्तों के साथः

- न्यायालय ने कहा कि आरक्षण 50 प्रतशित कैप की सीमा में ही होना चाहयि और पदोन्नति में इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहयि।
- [कीरीमी लेयर](#) की अवधारणा भी न्यायालय द्वारा समुदाय के संपन्न लोगों को बाहर करने के लिये पेश की गई थी।
- कैरी फॉरवरड नियम (जिसके द्वारा आगामी वर्ष में अपूर्ण रक्तियों को भरा जाता है) को 50 प्रतशित की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहयि।

मामलों	प्रलय	विवाद
मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन, 1950	कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जाति आधारित आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन करता है। इसने कहा कि आरक्षण समानता का अपवाद है और इसलिए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।	संविधान के पहले संशोधन की शुरूआत हई, जिसने फैसले को अमान्य कर दिया।
एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, 1963	कॉलेज प्रवेश में मैसूर सरकार के 68% आरक्षण को अत्यधिक और अनुचित माना गया था, और इसे 50% पर रोक दिया गया था।	मुख्यमंत्री कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में 1992 में आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी थी।
देवदासन बनाम भारत संघ, 1964	अदालत ने फैसला सुनाया कि यदि आरक्षण 50% से अधिक हो जाता है तो वे अमान्य होंगे।	आरक्षण को युक्तिसंगत बनाया गया और इसे समानता का पहलू करार दिया गया।
केरल राज्य बनाम एनएम थोमस	इस विचार की पुष्टि की कि आरक्षण कोई अपवाद नहीं है बल्कि समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक है। इसने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 16 (1) की समानता की अवधारणा में अब तक बहिर्भूत वर्गों के लिए अनुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उपचारामक कार्रवाई शामिल है।	इस फैसले को आरक्षण के दर्दन का पहला निश्चित न्यायिक समर्थन माना जाता है।
इंद्र साहनी और अन्य बनाम भारत संघ, 1992	अदालत ने ओबीसी के लिए अलग आरक्षण को बरकरार रखा लेकिन "कीरीमी लेयर" को बाहर कर दिया। इसने अर्थिक आरक्षण को बाहरिंग कर दिया और सभी आरक्षणों के लिए 50% की सीमा निर्धारित की।	1999 में इस मामले को फिर से दबाया गया और मुख्यमंत्री कोर्ट ने कीरीमी लेयर के बहिष्करण की फिर से पुष्टि की और इसे SCS और STS तक बढ़ा दिया।
एम नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2007	77वें संशोधन को बरकरार रखा जिसने एसटीएस और एसटीएस के लिए रोजगार में पदोन्नति के लिए आरक्षण बढ़ाया।	अदालत ने फैसला सुनाया कि पदोन्नति को पिछ़ड़ेपन, प्रतिनिधित्व और दक्षता की आवश्यकता के द्विपल देस्ट को पूरा करना चाहिए। वैकल्पिक रितियों को 50% की सीमा से बाहर रखा गया था।
LRS द्वारा I. R. Coelho (मृतक) वी. तमिलनाडु राज्य, 2007	तमिलनाडु को मुख्यमंत्री कोर्ट ने 50% आरक्षण सीमा का पालन करने की सलाह दी।	तमिलनाडु आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत रखा गया था, जिसे अदालत ने पहले ही बरकरार रखा था।
पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005	सुरकारी अनदान प्राप्त न करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों पर आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है।	93वें संविधान संशोधन के नेतृत्व में अनुच्छेद 15(5) पेश किया गया।
अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, 2007	गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण पर 93वें संशोधन को बरकरार रखा।	प्रत्येक 10 वर्षों में पिछ़ड़ेपन की अनुशंसित समीक्षा।
राम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ, 2014	ओबीसी की केंद्रीय सूची में जाटों को शामिल किए जाने पर कड़ा प्रहार किया।	पिछ़ड़ेपन को निर्धारित करने के लिए नए तरीके प्रस्तावित किए।
Jaishri Laxmanrao Patil v Union of India, 2021	मराठा आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया।	आरक्षण पर 50% की सीमा की फिर से पुष्टि की गई।
Janhit Abhiyan vs Union Of India, 2022	शिश्रा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण पेश करने वाले 103वें संशोधन को बरकरार रखा।	एक नई आरक्षण व्यवस्था बनाई गई।

मंडल आयोग की वशिष्टताएः:

- प्रतनिधित्व में वृद्धि: मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में SEBC के प्रतनिधित्व को बढ़ाने में मदद की।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2014-2021 के दौरान सीधी भर्ती के माध्यम से कुल नियुक्ति के खलिफ OBC का प्रतनिधित्व लगातार 27 प्रतशित से ऊपर था।

- शिक्षा तक पहुँच: आरक्षण नीति ने कई OBC छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुँच में सक्षम बनाया है। इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में OBC छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

- सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2014-2021 की अवधि के दौरान 2014-15 से उच्च शक्तिः संस्थानों में OBC का नामांकन लगातार बढ़ रहा है।
- **सामाजिक न्याय:** मंडल आयोग की सफिराई सामाजिक न्याय के सदिधांतों पर आधारति थी और इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, वशीष्टकर उन लोगों को समान अवसर प्रदान करना था जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं।

मंडल आयोग के दोषः

- **समाज के उत्थान पर सीमति प्रभाव:** इसका प्रभाव बहुत कम समुदायों तक सीमति रहा है। [न्यायमूरति रोहणी जी. आयोग](#) के अनुसार, OBC में लगभग 6,000 जातियों और समुदायों में से केवल 40 समुदायों को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं सविलि सेवाओं में भर्ती हेतु 50% आरक्षण का लाभ मिला।
- **राजनीतिकिरण:** राजनेताओं ने प्रायः आरक्षण को अपने वोट बैंक की राजनीतिके रूप में इस्तेमाल किया है। वर्ष 1980 के दशक के दौरान मंडल आयोग को राजनीतिका एक नया रूप राजनीति-मंडल देते हुए अत्यधिकि राजनीतिकिरण किया गया था।
 - अभी भी इसका प्रयोग एक राजनीतिकि उपकरण के रूप में किया जाता है। हाल ही में कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान एक राजनेता ने SC/ST/OBC आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग की है।
- **योग्यता/मेरठि पर नकारात्मक प्रभाव:** आरक्षण नीतिका योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि इस कारणकई योग्य उम्मीदवारों को सीट प्राप्त नहीं हुई, जबकि कम योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया था।

आगे की राह

- **आरक्षण नीतिकी समय-समय पर समीक्षा:** [1990 का नियमिति अधिकार विभाग](#) (1992) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियमिति इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये आरक्षण नीतिकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहयि।
- **शिक्षा के प्रारंभिक सत्र में सुधारः** सरकार को शिक्षा के प्रारंभिक सत्र में सुधार करने का प्रयास करते रहना चाहयि ताकि उच्च सत्र पर आरक्षण आसानी से समाप्त हो सके।
- **नजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ाना:** सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र और रोज़गार के लिये आरक्षण पर नियमिता को कम करने हेतु नजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ाने के लिये प्रयास करना चाहयि।

स्रोतः द हृदि

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mandal-commission>